(handwritten note at top, partly illegible) ... 11-8-16

न्यायालय उप जिलाधिकारी – खतौली (मुजफ्फरनगर)।

वाद संख्या–टी20160955061105 धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता

नमस्ते एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर अरविन्द राठी बनाम सरकार

मौजा हुसैनपुर बोपाडा, परगना खतौली

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नमस्ते एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर अरविन्द राठी पुत्र सुरेन्द्रपाल राठी निवासी 1245 सैक्टर–ए, पाकेट बी बसन्तकुंज नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई, जिसमें कथन किया गया है कि ग्राम हुसैनपुर बोपाडा के खाता संख्या–0813,खसरा नम्बर 1791 रकबा 0.0740 है0 व खसरा नं0 1801 रकबा 0.1540 है0 कुल दो किते रकबा 0.2280 है0 लगान 15.25 रू0 पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। अतः उक्त भूमि को धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने की याचना की गयी है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार खतौली से जांच कराई गई।

तहसीलदार खतौली ने अपनी आख्या दिनांक 26–07–2016 में उल्लेख किया है कि राजस्व अभिलेखो में वादी का नाम प्रश्नगत भूमि ग्राम हुसैनपुर बोपाडा के खाता संख्या–0813,खसरा नम्बर 1791 रकबा 0.0740 है0 व खसरा नं0 1801 रकबा 0.1540 है0 कुल दो किते रकबा 0.2280 है0 लगान 15.25 रू0 पर वादी का नाम दर्ज है। खसरा नं0 1801 में मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा मौके पर दो कमरे बने है तथा खसरा नं0 1791 मौके पर खाली है। सरकारी दर से प्रश्नगत भूमि की मालियत 16,41,600/–रू0 अंकित की गयी है जिसकी 1 प्रतिशत मालियत 16,416/–रू0 होती है। उक्त भूमि को धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, तहसीलदार खतौली की आख्या के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी का नाम अंकित है तथा प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है बल्कि मौके पर खसरा नं0 1801 में मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा मौके पर दो कमरे बने है तथा खसरा नं0 1791 मौकें पर खाली है। खातेदार ने बताया है कि भविष्य में भी इस भूमि पर कृषि कार्य,मत्स्य पालन,कुकुटपालन,पशुपालन या अन्य कारणों, जिससे भूमि कृषि भूमि की परिभाषा में आती है, ऐसा कोई भी कार्य नही करेगा। तहसीलदार आख्यानुसार वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि की मालियत का 1 प्रतिशत 16,416/–(सोलह हजार चार सौ सोलह)रू0 चालान संख्या 04 दिनांक 11–8–2016 के द्वारा भारतीय स्टेट बैक जानसठ में जमा कराया गया है। अतः उक्त भूमि को धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि प्रख्यापित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। यहॉ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता धारा 80 की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रख्यापन मात्र से भू उपयोग परिवर्तन नही हो जाता है। यदि किसी स्तर पर धारा 80 के अन्तर्गत प्रख्यापन का भू–उपयोग परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह विधि विरूद्व होगा और भू उपयोग परिवर्तन स्वतः निष्प्रभावी होगा। प्राधिकृत क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमि पर प्राधिकरण के नियम कानून लागू होगे।

आदेश

उक्त विवेचना के आधार पर ग्राम हुसैनपुर बोपाडा के खाता संख्या–0813,खसरा नम्बर 1791 रकबा 0.0740 है0 व खसरा नं0 1801 रकबा 0.1540 है0 कुल दो किते रकबा 0.2280 है0 जिस पर वादी नमस्ते एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर अरविन्द राठी पुत्र सुरेन्द्रपाल राठी निवासीगण 1245 सैक्टर–ए, पाकेट बी बसन्तकुंज नई दिल्ली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, को धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबंधक खतौली को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांकः 11–.8–2016

11/8/016

(बाबूराम)
उप–जिलाधिकारी
खतौली

(Stamp: उप जिलाधिकारी कार्यालय न्यायालय खतौली (मुजफ्फरनगर))

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी
खतौली
14/08/16

पत्र की तिथि 12-8-16
तैयारी की तिथि 12-8-16
देने की तिथि 14-8-16